निगरानी / एल.आर. / 1438 / 2006 / झुंझुनू
तेजपालसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अशोक मेघवंशी, उप राजकीय अभि0अप्रार्थी

दिनांक : 23.9.2022

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू द्वारा प्रकरण संख्या 81 / 2001 में पारित निर्णय दिनांक 6–2–2006 के विरूद्ध धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का पंचलगी ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 19–12–2000 को नायब तहसीलदार, उदयपुरवाटी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सम्वत् 2057 में खसरा नं0 3824 रकबा 7.96है0 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में 0.01है0 पर पुख्ता दुकान व छप्पर डालकर प्रार्थी तेजपाल सिंह पुत्र संतबक्स सिंह ने अतिक्रमण किया है। पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ने प्रार्थी को धारा 91 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। वर्ष 1991 में ग्राम पंचायत पंचलगी ने इस भूमि का पट्टा प्रार्थी के पिता व चाचा को दिया हुआ है। जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि वर्ष 1991 में ग्राम पंचायत पंचलगी ने इस भमि का पट्टा प्रार्थी के पिता व चाचा को दिया हुआ है। जिस पर प्रार्थी ने 1991 में दुकान बना रखी है इस दुकान के अलावा प्रार्थी के पास जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः नोटिस ड्रोप किया जावे। नायब

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार ने जांच किए बिना दिनांक 7–3–2001 को प्रार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 7–3–2001 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर, झुन्झुनू के न्यायालय में प्रस्तुत की। उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–6–2001 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय दिनांक 26–6–2001 के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनू के न्यायालय में अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 6–2–2006 द्वारा खारिज कर दी गई। उनका तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के पिता व चाचा का पुश्तैनी कब्जा था। सन् 2001 मे पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई जांच किये अधीनस्थ न्यायालय ने जो बेदखली का आदेश पारित किया है वह न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा राजकीय गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता दुकान का निर्माण किया गया है जो रिपोर्ट पटवारी से साबित होता है। उक्त विवादित भूमि जिस पर अतिक्रमण बताया गया है वह राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन पहाड की भूमि दर्ज है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अपीलांट द्वारा जो पट्टे की प्रति प्रस्तुत की गई है वह न तो प्रमाणित है और न ही उसमें विवादित भूमि का खसरा नम्बर अंकित है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधि और तथ्य की भूल नहीं की है। अतः यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जावें। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन पहाड है। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता दुकान का निर्माण किया गया है। रिपोर्ट पटवारी से साबित है कि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि से ही पट्टा जारी करने का अधिकार है इसके अलावा प्रार्थी द्वारा जो पट्टे की प्रति प्रस्तुत की गई थी वह न तो प्रमाणित है और न ही उसमें विवादित भूमि का खसरा नम्बर अंकित है। प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन पहाड की भूमि पर पुख्ता भूमि का निर्माण कर रखा है जो अवैध कब्जे की परिभाषा में आता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई है, जो विधि अनुकूल है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत हैं एवं इस निगरानी में कोई सार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है एवं तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय बहाल रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	